

संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ रायपुर

// विज्ञापन //

ज्ञापन क्रमांक/स्था./अ-1-अ/सीधी भर्ती/2017/133 रायपुर दिनांक 15/02/2017

कृषि विभाग के अधीन निम्नलिखित रिक्त पदों की भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के आवेदकों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 17.02.2017 (शुक्रवार) से 09.03.2017 (गुरुवार) सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं।

खण्ड "अ"

रिक्त पद, विभागीय नियम एवं पाठ्यक्रम

1. पद की स्थिति :-

अनुसूचित जाति 12%, अनुसूचित जनजाति 32% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 14% तथा महिलाओं के लिये 30%, विकलांग के लिये 6% एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10%।

पद विभाग का नाम	(अ) कुल पद श्रेणीवार					(ब) कॉलम (अ) में दर्शाये गये रिक्त पदों में से महिलाओं के लिये आरक्षित पदों की संख्या 30%				(स) कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल पदों में से विकलांग के श्रेणी के लिये 6%	(द) कॉलम (अ) में दर्शाये गये रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10%				
	UR	SC	ST	OBC	योग	UR	SC	ST	OBC		UR	SC	ST	OBC	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	07	00	01	02	10	02	00	00	00	00	01	00	00	00	10

टीप :- सर्वंगवार पदों की संख्या में कमी/आधिक्य की जा सकती है।

(1) परीक्षा तिथि : 26.03.2017 रविवार पूर्वान्ह 9.00 बजे से 12.15 बजे तक

(2) शैक्षणिक योग्यता :-

मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि/कृषि अभियांत्रिकी/उद्यानिकी/जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री।

वेतनमान - पद का वेतनमान रु. 9300-34800/- ग्रेड वेतन 4300/- तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे।



3) सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें :-

- (अ) आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- (ब) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
- (स) कोई भी उम्मीदवार जिसमें विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के पात्र पात्र नहीं होगा।
- (द) छत्तीसगढ़ के किसी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट रहेगी)
- (य) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्ति के संबंध में जारी समस्त दिशा-निर्देश लागू होंगे।
- (र) आरक्षित वर्ग अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग से सत्यापित जाति प्रमाण पत्र काउंसिलिंग/नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (ल) निःशक्तता से बाधित व्यक्ति (दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित) निर्धारित निःशक्तता हेतु प्रमाण अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी/मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता प्रमाण (उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया) काउंसिलिंग/नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (व) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के ज्ञाप पत्र क्रमांक एफ-4-1/2014/1-3 दिनांक 03.06.2015 द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थापना के संबंध में जारी दिशा-निर्देश के बिन्दु क्रमांक 1.3 के परिपेक्ष्य में प्रथम नियुक्ति के समय अधिकारियों-कर्मचारियों को अनुसूचित क्षेत्र के दुर्गम जिला/विकासखंड में कम से कम तीन वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी।

(एक) आयु :-

- क) 01.01.2017 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। (आयु सीमा के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश मान्य होगा)
- (ख) यदि अभियर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

Abh

- (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (घ) उन अभ्यर्थियों के लिए जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चूके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी :-
- (एक) ऐसा अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ का स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, अड़तीस वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।
- (दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, अड़तीस वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।
- (तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द "छटनी किए गए शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

- (ङ) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवाओं की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नालिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग हो तथा जो भारत सरकार के अधिन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा

शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी किया गया हो, अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया है।

- (एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो।
- (दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें
- (क) अल्पकालीन वचनबद्ध पूर्ण हो जाने पर।
- (ख) नांमाकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,
- (तीन) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कर्मी
- (चार) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किए गए अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं)
- (पाँच) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किए गए अधिकारी।
- (छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।
- (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।
- (आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो।

टीप :-

- (1) उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) एवं (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी कर दी जाती हो तो वे पात्र बने रहेंगे।
- (2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएँ, शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

CPB

- (च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के अर्न्तजातिय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- (इ) स्वयं सेवा नगर सैनिकों एवं नगर सेवा के नाम कमीशनड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यक्षीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ए) आयु सीमा के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- (ठ) उपरोक्त किसी एक या एक अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरांत, शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

निःशक्तता की परिभाषाएं :-

- (i) (क) दृष्टि बाधित : "दृष्टि बाधित" का अभिप्राय जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थियों से ग्रसित हो -
- (i) दृष्टि का पूर्ण अभाव, अथवा
- (ii) बेहतर आंख में दृष्टि सुधारने वाले लेंस के साथ दृष्टि-विमलता 6/60 अथवा 20/200 (स्नैलेन) से अनधिक अथवा
- (iii) दृष्टि क्षेत्र की सीमा जिससे 20 डिग्री का कोण व्याप्त हो अथवा इससे बदतर :
- (ख) कम दृष्टि : "कम से दृष्टि वाले व्यक्ति" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी दृष्टिक-क्रिया उपचार के अथवा मानक परावर्तित सुधार करवाने के बाद भी खराब हो परन्तु जो समुचित सहायक यंत्र से किसी काम की योजना बनाने अथवा उसे निष्पादित करने में दृष्टि का प्रयोग करता हो अथवा उसका प्रयोग करने में संभावनीय रूप से समर्थ हो।

ohh

- (ii) श्रवण बाधित निःशक्ता : "श्रवण बाधित निःशक्ता" से बेहतर कान में बातचीत स्वरूप की श्रेणी की आवृत्तियों से आठ डेसिबल अथवा उससे अधिक का लोप अभिप्रेत है।
- (iii) (क) अस्थि बाधित निःशक्ता "अस्थि बाधित निःशक्ता" हड्डिया जोड़ों अथवा मांसपेशियों की निःशक्ता अथवा किसी भी तरह प्रमस्तिक अंगाघात (Cerebrat Palsy) अभिप्रेत है जिससे अंगों के हिलने-डुलने में अत्याधिक बाधा है
- (ख) प्रमस्तिक अंगाघात (Cerebrat Palsy) "प्रमस्तिक अंगाघात (Cerebrat Palsy) से किसी व्यक्ति की गैर विकासोन्मुख स्थितियों का समूह अभिप्रेत है, जो जन्म से पूर्व जन्म के आसपास अथवा विकास की आरंभिक अवधि में घटित मस्तिक-आघात अथवा चोटों के परिणामस्वरूप चलने-फिरने की असामान्य नियंत्रण-भंगिमा के रूप में परिलक्षित होता है।
- (ग) शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के सभी मामले "अस्थि बाधित निःशक्ता अथवा प्रमस्तिक अंगाघात (Cerebrat Palsy) की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे।

4) आयु सीमा :- दिनांक 01.01.2017 को 35 वर्ष की आयु से अधिक न हो।

उच्चतम आयु सीमा में छूट :-

विशेष छूट : निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी।

- (3) (एक) (1) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।
- (3) (एक) (2) महिलाओं के लिये आयु में शासन द्वारा नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी।
- (3) (एक) (3) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2002/1/3, दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी। जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों के रूप में सेवा की है, इसके लिये छह माह से अधिक सेवा की अवधि 1 वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा वह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से आयु सीमा में विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है। (अनु. जाति/जनजाति, अपिव. विधवा, परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।
- (3) (एक) (4) विधवा परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये अधिकतम आयु 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जायेगी।



(3) (दो) (1) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक/सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप :- (1) बिन्दु क्रमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) अंतर्जाति विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण : यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने वाले के साथ-साथ ग्रीन कार्ड धारक तथा विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जायेगी। ग्रीनकार्ड अथवा अंतर्जातीय विवाह के निर्धारित छूट नहीं दी जायेगी। यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक केवल ग्रीनकार्ड धारक हो तो उन्हें अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये दो वर्ष की ओर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा। अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतर्जातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जायेगी। समस्त छूट के पश्चात उम्मीदवार की आयु अर्द्धवार्षिकी आयु पूर्ण न करता हो।

(2) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

(3) आवेदन पत्र के साथ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करना होगा।

(4) इस पद हेतु आपके आवेदन के आधार पर आपको सम्मिलित किया जायेगा। परन्तु नियुक्ति तभी की जायेगी। जब आप विज्ञापन की शर्तों एवं विभागीय नियमों के आधार पर पात्र होंगे। अतः आवेदक आवेदन करने के पहले अपनी अहर्ता की जाँच स्वयं कर ले और अहर्ता के समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही



- आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनहर्ता पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- (5) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र – आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ अवश्य भेजी जानी चाहिए इसके अभाव में आवेदन पत्र अपूर्ण मान अस्वीकार किया जा सकता है और इस संबंध में विभाग/व्यापम द्वारा कोई मान अस्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार किया जायेगा।
- (5) अ जन्मतिथि प्रमाण पत्र के लिये सामान्यतः हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी/मेट्रिकूलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अहर्ता का प्रमाण पत्र।
- (5) ब शैक्षणिक अहर्ता का प्रमाण पत्र।
- (5) स हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन सभी परिक्षाओं की अभिप्रमाणित अंक सूची जिन्हे आवेदक ने उत्तीर्ण किया है।
- (5) द अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित प्राधिकारी का प्रमाण पत्र (यदि इस आधार पर कोई रियायत चाही गई हो) अनिवार्य रूप से संलग्न करें। विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी होने के दिनोंक से छह माह के भीतर के अवधि का ही मान्य किया जायेगा। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र के अभाव में उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।
- (5) य तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- (5) र उपरांकित कंडिकाओं में उल्लेख के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये नियोक्ता अधिकारी/समक्ष अधिकारी का प्रमाण पत्र।
- (5) ल उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र।
- (5) व उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड।

dh

(5) श आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र।

(5) ष आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

परिवीक्षा :- सेवा में रिक्त पदों विरुद्ध सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष कलावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(6) **नियोक्ता का अनापत्ति पत्र :-**

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक तथा विभिन्न नगर/निगमों/मंडल राज्य शासन के उपक्रम/अन्य राज्यों एवं भारत सरकार अथवा उनके निजी उपक्रम की सेल में कार्यरत अथवा राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक अथवा निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत आवेदक अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में सीधे व्यापम को भेज सकते हैं, परन्तु इसके तुरन्त पश्चात अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को अनापत्ति प्रमाण पत्र सीधे विभाग को नियुक्त प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्ति की अभिस्वीकृति सहित नियुक्ति के समय विभाग को प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात यदि विभाग को एक माह के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विभाग द्वारा यह मान लिया जायेगा कि नियोजक को कोई आपत्ति नहीं है।

(7) **अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी :-**

प्रत्येक आवेदक को चाहिए की वे विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में दिये सभी खानों को भली प्रकार से देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरे यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक के बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। गलत जाति प्रमाण पत्र देने या आवेदन पत्र में जाति त्रुटि होने पर भी विभाग चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन की उम्मीदवारी निरस्त कर सकेगा और आवश्यक सम्यक निर्णय ले सकेगा।

उप संचालक कृषि (स्था.)
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर